न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 30 / 2022
राजेन्द्र पुत्र स्व0 धुडाराम, जाति जाट, निवासी भोजनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
—— अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र नारायणराम, जाति जाट, निवासी भोजनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
2. तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
3. पटवार हल्का, टौक छिलरी तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत टौक छिलरी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
5. गणपति पत्नी बिरजूराम
6. घीसाराम पुत्र बिरजूराम
7. ओमप्रकाश पुत्र बिरजूराम
8. केशर पुत्र बिरजूराम
   जाति जाट, निवासीगण भोजनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
9. परमेश्वरी पुत्री बिरजूराम पत्नी रामजीलाल
10. सुप्यार पुत्री बिरजू पत्नी मामराजसिंह
    जाति जाट, निवासीगण भोजनगर, तहसील नवलगढ हाल निवासी सिंगनौर, तहसील उदरपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
11. उप—पंजीयक, नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

— — —

अपील वास्ते रद्द करवाने इंतकाल संख्या 974 ग्राम पचांयत भोजनगर स्वीकृत द्वारा तहसीलदार नवलगढ दिनांक 17.12.2021

— — —

उपस्थितः—

1. श्री रमाकान्त गौड, अभिभाषक — अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 5 लगायत 10 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 3 एवं 11 की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.07.2022

उक्त विषयक अपील [illegible] विद्वान तहसीलदार नवलगढ के नामान्तरकरण संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 भूमि ग्रा[illegible] के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप मे अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्र[illegible] ग्राम भोजनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं की राजस्व सीमा में अवस्थित खा[illegible]संख्या 38 नया 25 पुराना हाल खसरा नम्बर 1154 / 355 रकबा 0.0690 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की बेचान रेस्पोडेन्ट [illegible] स्वयं व बहैसियत मुख्त्यार रेस्पोडेन्ट्स नं0 5 लगायत 7 व 9 ल[illegible] 10 के रेस्पोडेन्ट नं0 [illegible]—पंजीयक कार्यालय में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र के दिनांक 29.10.2021 समय 3 पी0एम0 पर दस्तावेज संख्या 202101451003341 दो गवाह प्रमोद कुमार बलोदा पुत्र नौरंगलाल बलौदा जाति जाट निवासी अजीतपुरा तन तन कसेरू तहसील नवलगढ व धुकल पुत्र मुकन्दा जाति जाट निवासी टौंक ढाका की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं के हस्ताक्षरों से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाकर बेचान की है। सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया है जिसके आधार पर ऑन लाईन नामान्तरकरण प्रकिया के तहत उप—पंजीयक नवलगढ रेस्पोडेन्ट नं0 11 विक्रय—पत्र रजिस्टर्ड करते समय ऑन लाईन करता है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

फिर तहसील व ग्राम पंचायत सरपंच व पटवारी हल्का टौंक छिलरी नियमानुसार प्रकिया अपनाकर नामान्तकरण तस्दीक करते है। प्रश्नगत मामले में नामान्तकरण संख्या 974 प्रविष्टि दिनांक 02.11.2021 की है, विक्रय–पत्र दिनांक 29.10.2021 को तस्दीक हुआ है तथा दिनांक 12.11.2021 को भू अभिलेख निरीक्षक वृत चिराना की रिपोर्ट हुई है एवं तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ ने दिनांक 17.12.2021 को इंतकाल पर हस्ताक्षर किये है एवं दिनांक तक नामान्तकरण बेचान प्रकियाधीन दिखा रहा था। दिनांक 09.02.2022 से 20.02.2022 के मध्य नामान्तकरण लोक किया है, जिससे जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट नं0 5 से 10 से खातेदारी से हटाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होकर जमाबन्दी में प्रविष्ट हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ न्यायालय अवमानना का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अपील मीमो के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित समस्त तथ्य में अपनाई गई प्रकिया अवैध, जालसाजी व षडयंत्रपूर्वक रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 लगायत अन्तिम के द्वारा अपनाकर की है, क्योंकि न्यायालय श्रीमान जी के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है। जिसकी पालना हेतु पक्षकार रेस्पोडेन्ट नं0 2 को श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 31.01.2022 को तहरीर जारी की, जिसकी पालना अभी तक रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 ने नही की, ना ही न्यायालय में पेश की, यहां तक कि दिनांक 20.12.2014 के पटवारी रिपोर्ट पर पुलिस इमदाद से विवादित खसरा नम्बर 1154/355 पर रास्ता हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता बताकर रिपोर्ट हल्का पटवारी टौंक छिलरी तत्कालीन ने पेश की, जिसकी पालना हेतु स्व0 धुडाराम ने दिनाक 20.08.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था, रेस्पोडेन्ट नं0 2 के कार्यालय में जिसमें वर्तमान टौंक छिलरी पटवारी व कार्यवाहक तहसीलदार महेन्द्र मूण्ड व भू0नि0 चिराना ने तथा थानाधिकारी उदयपुरवाटी ने कोई कार्यवाही नही की, जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 3 को अपीलान्ट के वकील ने मूल प्रार्थना पत्र तहरीर दिनाक 02.09.2021 क्रमांक 255/भू.अ. द्वारा जारी दस्ती दी थी, इसके अलावा अपर जिला कलेक्टर, झुंझुनू कलेक्टर, झुंझुनू के आदेश दिनांक 24.08.2021 की पालना भी आज तक उपखण्ड अधिकारी नवलगढ व तहसीलदार नवलगढ ने नही की, आज तक अपने पत्र प्राप्ति रजिस्टर में भी इन्द्राज नही किया, रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने तो अज न्यायालय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पालना हेतु दिनांक 12.01.2022 को दस्ती आदेश वकील अपीलान्ट ने दी तो कहा कि न्यायालय आदेश तो आते रहते है मैं तो पालना नही करूंगा। पटवारी हल्का को लिख देता हूं पटवारी हल्का टौंक छिलरी ना तो फोन रिसीव करते, ना ही मिलते, इसलिये उनके वाट्सअप नम्बर दी, बेचान नामान्तकरण संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 तस्दीक स्वीकृत किया जाने से खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को रेस्पोडेन्ट नं0 8 ने यथास्थिति आदेश बउनवानी मुकदमा केशर बनाम धुडाराम आदि मुकदमा नम्बर 21/21 प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 28.06.2021 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा इसी खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर के संबंध में अपने पक्ष में जरिये अधिवक्ता अपना पक्ष रखकर ली है, जिसमें न्यायालय ने यथास्थिति विवादित स्थल खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर पर रखने का आदेश पारित किया, उक्त पत्रावली श्रीमान सहायक कलेक्टर, नवलगढ के न्यायालय में विचाराधीन है, आगामी पेशी दिनांक 16.03.2022 नियत है। इस पत्रावली में अन्य प्रार्थना–पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट नं0 2 जो पक्षकार भी है, के नाम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना का दिनांक 10.01.2022 को प्रार्थना–पत्र पेश कर पुलिस इमदाद से पालना हेतु न्यायालय से आदेश करवाया, जिस पर रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने रेस्पोडेन्ट नं0 3 के नाम व पुलिस थाना उदयपुरवाटी के थानाधिकारी को पुलिस इमदाद लेने हेतु आदेश जारी किया है। इस प्रकार एक अन्य मुकदमें मोहनी देवी बनाम केशर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 92/21 में भी मोहनी देवी ने जरिये अधिवक्ता अपना पक्ष रखकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 व रेस्पोडेन्ट नं0 5 लगायत 10 के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई, जो आदेश दिनांक 13.12.2021 को जारी किया [illegible] पालना हेतु पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 2 को न्यायालय ने जारी किया। इस प्रकार अन्तरिम अ[illegible] नि[illegible]ज्ञा की जानकारी रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 11 को थी, उसके बाद भी ग्राम सरपंच की उपस्थि[illegible] ग्राम सभा में नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट नं0 3 ने नही र[illegible] पक्ष के साथ साजिस कर फायदा पहुंचाने व राजनैतिक हस्तक्षेप के [illegible] 22 में होते हुये दिसम्बर की तारीख 17 वर्ष 2021 में नामान्तकरण तस्दीक कर गैर कानूनी रूप से विकेता रेस्पोडेन्ट नं0 1 के हक में नामान्तकरण खोला जाने से यह नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। संयुक्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना–पत्र मुकदमा नम्बर 21/21 व दावा रेस्पोडेन्ट नं0 8 ने पेश कर रखा है, अपीलान्ट ने भी मुकदमा नम्बर 92/21 प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व दावा बाबत रास्ता विवादित स्थल हेतु पेश कर रखा है, दोनों के प्रार्थना–पत्र में आगामी पेशी क्रमशः 16.03.22 व 15.03.33 नियत है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसमें किसी भी तरह का विकय, हस्तान्तरण, दान प्रतिबन्धित किया हुआ है, कानून का सर्व मान्य सिद्धान्त है कि किसी न्यायालय ने यदि अस्थाई अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की हुई है तो न्यायालय की आज्ञा की अवमानना कर किया गया संव्यवहार संविदा व बेचान विकय–पत्र शून्य व निष्प्रभावी होता है। यह नामान्तकरण भी इसी प्रकार स्वीकृत किये गये होने से प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी बेचान का गैर कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है, इस कारण खारीज होने योग्य है। रास्ते की भूमि का विकय नही होता है तो खुद विकेता ने अपने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में 9 फुट वर्णित कर न्यायालय से सहायता चाही है, अपीलान्ट ने भी 4.5 फुट चौडा रास्ता बताकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है, रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 10 को पूर्ण जानकारी थी कि विक्रीत भूमि के संबंध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, जो दिनांक 26.06.2021 व 13.12.2021 के आदेश है और जमाबन्दी में अंकन करने व मौका व राजस्व की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पालना आदेश भी रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 को प्राप्त हो चुके है, फिर भी कानून से उपर जाकर आर्थिक प्रलोभन, राजनैतिक दबाब के चलते विकेता को, केता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय आज्ञा की अवमानना कर शून्य व बेअसर निष्प्रभावी विकय–पत्र की वैधता जांचे वगैर, सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन किये वगैर, प्रकियाधीन नामान्तकरण को प्रशासन गांवो के संग अभियान की गत तिथि में दर्शाकर नामान्तकरण तस्दीक किया है। यदि इस प्रकार नामान्तकरण तस्दीक होते है तो आम जनता में अन्तरिम व अंतिम आदेश निषेधाज्ञा कोर्ट द्वारा जारी करने का मखौल बन जायेगा और पटवारी से परमात्मा बन जायेगे, जो चाहेगा वो ही होगा, अपीलान्ट के वकील की प्रार्थना, न्यायालय की आज्ञा को कुछ नही समझते, अपनी व्यक्तिगत परसनेलिटी व इगो के आधार पर लोक सेवक की भूमिका न निभाते हुये आर्थिक प्रलोभन के अधीन नामान्तकरण तस्दीक वो भी गत तिथि में क्योकि ऑन लाईन प्रकिया पर इनका ही कब्जा है, झूंठ का बोलबाला, इन्सानियत पूरी तरह खत्म हो गई, शब्द इसलिये लिखे जा रहे है, कि दिनांक 13.12.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की दस्ती रेस्पोडेन्ट नं0 2 को देकर रजिस्ट्रर्ड कानूनगो व पटवारी को मार्क करवाने के बाद, नामान्तकरण लोक करने वाले श्री गिरधारीलाल कम्प्यूटर कर्मचारी कम पटवारी के पद पर तहसील नवलगढ में नियुक्त कर्मचारी को दस्ती दिखाकर फोटो प्रति देकर अपीलान्ट वकील ने निवेदन किया कि यह प्रकियाधीन इन्तकाल नामान्तकरण लोक ना करे, संबंधित पटवारी टौंक छिलरी मुझे मिल नही रहा है, कोल रिसिव नही कर रहा है, आपके पास आते रहते है, आप अतिरिक्त प्रति मुझसे ले लेवें व नामान्तरकरण लोक न करे उस पटवारी को न्यायालय दस्ती का हवाला देकर नामान्तकरण लौटा दे, प्रकियाधीन प्रविष्टि रद्द कर देवे। परन्तु ना जाने किस भ्रम मे जी रहे है ये राजस्व कर्मचारी, उन्होने मेरी अपीलांट वकील दस्ती आदेश धारक की दस्ती अतिरिक्त प्रति लेने से इन्कार कर दिया, इस पर दो दिन बाद तत्कालीन तहसीलदार, नवलगढ महेन्द्र मूण्ड से तहसील गेट के पास बात करते पटवारी टौंक छिलरी रेस्पोडेन्ट नं0 3 को आदेश की दस्ती दी, उनसे निवेदन किया कि न्यायालय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की दस्ती है, आप नामान्तकरण खसरा नम्बर 1154 / 355 को न तस्दीक करे। उन्होने दस्ती आदेश ले लिया परन्तु जमाबन्दी में नोट नही लगाया बल्कि आदेश को धता देकर गत तारीख 17.12.2021 में मनमर्जी से नामान्तकरण स्वीकार रेस्पोडेन्ट नं0 2 से करवा लिया और विजय प्राप्ति का जश्न मना लिया। इस प्रकार कोर्ट आज्ञा की अवज्ञा ही नही गत तारीख में सरपंच की ग्रामसभा की टिप्पणी के बिना नामान्तकरण स्वीकार कर नामान्तकरण स्वीकार करने की प्रकिया अपनाये, वगैर ढोल बजाये, बिना मुनादी किये बिना विवादित केसों के चलते 974 नामान्तकरण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की लोक सेवक की कार्यशैली से आम जनता में मुकदमे बाजी, रंजिश बढ रही है केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं तमाम न्यायालय लोक अदालत के समय पक्षकारों व उनके वकीलों से आपसी [illegible] के जरिये मामले कम करने की प्रार्थना करते है ये प्रार्थना कैसे सफल होगी। अतः अपीलान्ट अपील पेश कर निवेदन है कि न्यायालय श्रीमानजी को गैर कानूनी रूप से स्वीकार[illegible] गये नामान्तक[illegible] संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 भोज नगर पटवार हल्का टौंक छिलरी क[illegible] आदेश की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की अवज्ञा क[illegible]कृत किये जाने से व रास्ते की भूमि तथा बिना कब्जे की भूमि का बेचान करने से गैर कानूनी घोषित कर खारीज किये जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे व नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम प्रविष्ट इन्द्राज जमाबन्दी चालू की हॉल ख0न 1154 / 355 हैक्टर रकबा 0.0690 ग्राम भोजनगर को खारीज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम भोजनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं की

राजस्व सीमा में अवस्थित खाता संख्या 38 नया 25 पुराना हाल खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 8 ने स्वयं व बहैसियत मुख्त्यार रेस्पोडेन्ट्स नं0 5 लगायत 7 व 9 लगायत 10 के रेस्पोडेन्ट नं0 11 उप–पंजीयक कार्यालय में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के दिनांक 29.10.2021 समय 3 पी0एम0 पर दस्तावेज संख्या 202101451003341 के क्रम मे नामान्तरकरण भरते समय अपनाई गई प्रकिया अवैध, जालसाजी व षडयंत्रपूर्वक रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 लगायत अन्तिम के द्वारा अपनाकर की है, क्योंकि न्यायालय श्रीमान जी के अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है। जिसकी पालना हेतु पक्षकार रेस्पोडेन्ट नं0 2 को श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 31.01.2022 को तहरीर जारी की, जिसकी पालना अभी तक रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 ने नही की, ना ही न्यायालय में पेश की, यहां तक कि दिनांक 20.12.2014 के पटवारी रिपोर्ट पर पुलिस इमदाद से विवादित खसरा नम्बर 1154/355 पर रास्ता हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता बताकर रिपोर्ट हल्का पटवारी टौंक छिलरी तत्कालीन ने पेश की, जिसकी पालना हेतु स्व0 धुडाराम ने दिनाक 20.08.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने तो अज न्यायालय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पालना हेतु दिनांक 12.01.2022 को दस्ती आदेश वकील अपीलान्ट ने दी तो कहा कि न्यायालय आदेश तो आते रहते है मैं तो पालना नही करूंगा। पटवारी हल्का को लिख देता हूं, पटवारी हल्का टौंक छिलरी ना तो फोन रिसीव करते, ना ही मिलते, इसलिये उनके वाट्सअप नम्बर दी, बेचान नामान्तकरण संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 तस्दीक स्वीकृत किया जाने से खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 को रेस्पोडेन्ट नं0 8 ने यथास्थिति आदेश बउनवानी मुकदमा केशर बनाम धुडाराम आदि मुकदमा नम्बर 21/21 प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 28.06.2021 को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा इसी खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर के संबंध में अपने पक्ष में जरिये अधिवक्ता अपना पक्ष रखकर ली है, जिसमें न्यायालय ने यथास्थिति विवादित स्थल खसरा नम्बर 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर पर रखने का आदेश पारित किया, उक्त पत्रावली श्रीमान सहायक कलेक्टर, नवलगढ के न्यायालय में विचाराधीन है, आगामी पेशी दिनांक 16.03.2022 नियत है। अतः गैर कानूनी रूप से स्वीकार किये गये नामान्तकरण बेचान संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 भोज नगर पटवार हल्का टौंक छिलरी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश की अवज्ञा कर, स्वीकृत किये जाने से व रास्ते की भूमि तथा बिना कब्जे की भूमि का बेचान करने से गैर कानूनी घोषित कर खारीज किये जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे व नामान्तकरण के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम प्रविष्ट इन्द्राज जमाबन्दी चालू की हॉल ख0न 1154/355 हैक्टर रकबा 0.0690 ग्राम भोजनगर को खारीज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 5 लगायत 10 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वकील अपीलान्ट नामान्तरकरण की अपील लेकर आये है। इन्हे नामान्तरकरण भरे जाने के समय समुचित साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश कर बताना चाहिए था कि नामान्तरकरण संख्या 974 दिनांक 17.12.2021 वाके ग्राम भोज नगर स्वीकार करने मे क्या कानूनी दिक्क्त थी। जहां तक स्थगन आदेश प्रभावी होने कासवाल है, तो स्थगन आदेश मात्र मौके की यथास्थिति का था न कि रिकार्ड का था। न्यायालय के आदेश पर दिनांक भी अंकित नही है। विवादित भूमि का पूर्व मे आपसी सहमति से विभाजन हो चुका था और सभी पक्षकारों की भूमि के रास्ता लगता था। अपीलान्ट ने अपनी स्वयं के हिस्से की भूमि मे तो आगे दुकाने [illegible] स्थित अपनी शेष बची भूमि मे जाने के लिए रेस्पोडेन्ट्स की भूमि हडपने की नियत से [illegible] किये गये है। बेचान रास्ते की भूमि का नही किया गया है। तहसीलदार [illegible] भी इस बात खुलासा है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3 व 11 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम भोजनगर स्थित भूमि ख0न0 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम भोजनगर स्थित भूमि ख0न0 1154/355 रकबा 0.0690 हैक्टर का बेचान होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण सं0 974 दिनांक 17.12.2021 विक्रय पत्र के आधार पर बाद जांच स्वीकार किया गया है। बेचान की गई भूमि रास्ते की नही है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, नवलगढ द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया गया है वह विवादित भूमि के मौके की यथास्थित बाबत है न कि रिकार्ड की यथास्थिति के बाबत है। न्यायालय सहायक कलेक्टर, नवलगढ के यथास्थिति आदेश पर कोई दिनांक भी अंकित नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से सुना जाना आवश्यक नही है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested